सिल्वे व अन्य

बनाम

वी. अरूण वर्गीस व अन्य

(सिविल अपील संख्या 830/2002)

26 फरवरी, 2007

(डा. अरिजीत पसायत बनाम पी. सदाशिवम जे.जे.)

विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963

भूमि विक्रय का अनुबंध-खरीददारों के द्वारा विर्निदिष्ट अनुपालना हेतु वाद-विचारण न्यायालय के द्वारा वाद खारिज किया गया यद्यपि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया विशिष्ट पालना के लिए डिक्री।

धारण की शुद्घता-उच्च न्यायालय ने सही माना कि विक्रेता अपने अनुबंध के संबंध में दायित्वों का पालन करने के लिए तैयार नहीं था और अनुबंध के संबंध में लिखित बयान में गलत वर्णन किया। क्रेता हमेशा अनुबंध के अपने दायित्वों का पालन करने के लिए प्रारम्भ से ही तैयार और इच्छुक रहे हैं इसलिए उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा गया। अपीलार्थी प्रतिवादियों ने प्रत्यर्थी वादियों के साथ सम्पत्ति के विक्रय के लिए एक अनुबंध किया। वादिया ने अग्रिम राशियों का भुगतान किया। विक्रय विलेख था, जो एक निश्चित तिथि तक निष्पादित किया जाए। प्रतिवादियों ने कहा

कि वादी को सभी दस्तावेज प्रस्तुत करें। वादियों ने विक्रय के करार के लिए विशिष्ट अनुपालना के लिए मुकदमा दायर किया क्योंकि प्रतिवादियों ने करार के अपने हिस्से का अनुपालन नहीं किया। विचारण न्यायालय ने माना की वादी कभी भी अपने अनुबंध के दायित्वों का पालन के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने एेसा नहीं किया। समझौते के तहत अपने दायित्वो को लागू करने के लिए शीघ्र कदम उठायें, जिस पर प्रतिवादियों ने खर्च किया। समझौते के तहत अपने दायित्वों को लागू करने के लिए त्वरित कदम उठायें और उस आधार पर प्रतिवादियों ने सम्पत्ति के सुधार के लिए राशि व्यय की, विचारण न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया हालांकि प्रतिवादियों को भुगतान की गई अग्रिम राशि की वसूली का आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने वादी के पक्ष में वाद का विनिश्चय किया इसलिए वर्तमान अपील खारिज करते हुए न्यायालय ने अवधारित किया-

उच्च न्यायालय ने पाया कि वादी के बारे में कहा जा सकता है कि वह अनुबंध की शुरूआत से लेकर विचारण न्यायालय में डिक्री की तारीख तक अनुबंध के अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार और इच्छुक थे। उच्च न्यायालय ने सही कहा कि वादी ने विर्निदिष्ट अनुतोष धारा 16 सी के संदर्भ में दलील दी कि वे अपने अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक है। वादी का मामला यह था कि प्रतिवादी विक्रय के अनुबंध में प्रस्तुत दस्तावेज के साथ तैयार नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप अनुबंध के निष्पादन में देरी हुई और वादी प्रतिवादियों द्वारा अनुबंध के

निष्पादन की मांग कर रहे थे। (पैरा 8 व 10) (447-एच, 448.ए,ई,एफ,जीजे)

उच्च न्यायालय ने देखा कि निकटवर्ती भूमि के संबंध में अनुबंध, विचारोंधीन अनुबंध से बहुत पहले किया गया था। वादी पक्ष को निकटवर्ती भूमि के संबंध में विक्रय विलेख प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं थी। उस सीमा तक तक कोई कार्य नहीं मिलने वाला था। वास्तव में असाइनमेंट में निकटवर्ती भूमि के संबंध में प्राप्त किया गया था। उच्च न्यायालय में ठीक से इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रतिवादियों ने अनुबंध के अपने हिस्से का पालना नहीं किया था। विक्रय के करार के तहत अनुबंध का अपने हिस्से का पालना नहीं किया था क्योंकि उन्होंने रबर प्लांट लगाने के लिए आवश्यक अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं की थी। बिक्री के अनुबंध के मामले के सिवाय मामले के खंड-7 द्वारा परिकल्पना रबर बोर्ड के साथ रबर एस्टेट के रूप में पंजीकरण के लिए पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त की।

बिक्री के लिए समझौता-(पैरा-11) (448-जी, एच, 449-ए, बी) 1.3-प्रतिवादी संख्या-3 ने स्वीकार किया कि केरल भूमि सुधार अधिनियम और केरल निजी वन(निहित और असाइनमेंट) अधिनियम के संबंध में शामिल सम्पत्ति की प्रकृति को देखते हुए प्रतिवादियों द्वारा कब्जा प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया जा सका। प्रतिवादियों ने वादी द्वारा जारी किये गये पत्र का कभी जवाब नहीं दिया। अनुबंध के निष्पादन में अन्य पत्रों का भी कोई जवाब नहीं दिया गया। सर्वोच्च

न्यायालय रिपोर्ट में पंजीकृत डाक के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया।

8/3 मना कर दिया गया। अधिवक्ता के नोटिस का भी जवाब नहीं दिया गया।

8/4 प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या-3 वादी से कोई भी पत्र प्राप्त करने से पहले वादी संख्या-2 स्थान 'ए' के घर गया था और उन्होंने उसे बताया कि वे बिक्री के लिए सम्पत्ति के तहत दायित्व को लागू करने के इच्छुक नहीं हैं लेकिन जब जांच की गयी तो प्रतिवादी संख्या-3 ने स्वीकार किया कि वह वादी से कभी नहीं मिला। लिखित कथन में बताया गया था और वह या कोई अन्य प्रतिवादी कभी भी वादी संख्या-2 से मिलने के लिए उसके निवास स्थान 'ए' के बारे में बात करने नहीं गया था। अनुबंध का निष्पादन याचिका में कहा गया कि लिखित बयान को साक्ष्य में छोड़ दिया गया था। उच्च न्यायालय ने तथ्यात्मक स्थिति का विश्लेषण करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला की प्रतिवादी वास्तव में अनुबंध के संदर्भ में अपने दायित्व का पालन करने को तैयार नहीं थे और लिखित कथन में असत्य याचिका दायर की थी। (पैरा 13) (449-ई-एच, 450-ए) अर्देशिर एच.मामा बनाम फ्लोरा सैसून एआईआर 1928 पीसी 208, लौडू मारी डेविड और अन्य बनाम वी. लुईस चिन्नया अरोगियास्वामी और अन्य 1996(5) एसीसी 589 संदर्भित किया गया। रेनेरी बनाम माइल्स और अन्य 1980(2) एआई.आर. 145-155 संदर्भित किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या-830/2002

केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम के ए.एस. सं.-245/1991 में दिनांक 14.03.2001 के अंतिम निर्णय से

टी.एल. विश्वनाथ लायर और टी.जी. नारायणन नायर - अपीलकर्ताओं की ओर से।

पी. कृष्णमूर्ति और राकेमी चाको - प्रतिवादियों की ओर से।

डा. अरिजीत पासायत, जे.

इस अपील में चुनौती, केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के फैसले में ली गई, जिसमें अचल सम्पत्तियों को विक्रय के समझौते के विशिष्ट पालना के लिए एक मुकदमें में वादी रहे उत्तरदाताओं द्वारा दायर अपील की अनुमति दी गई है। चार प्रतिवादियों ने प्रदर्श ए-1 दिनांक 23.02.1986 के तहत उनके द्वारा रखे गये सम्बन्धित हिस्सों की बिक्री के लिए एक समझौता किया। जिसके तहत वे वादी को उन चारों द्वारा रखी गयी 10 एकड़ की सम्पत्ति की सीमा बताने के लिए सहमत हुए। रूपये की कीमत 19750/- रूपये प्रति एकड़ उन्हें रूपये की अग्रिम राशि प्राप्ति की। 50000/- रूपये अनुबंध में प्रावधान था कि विक्रय विलेख को 17.04.1986 तक निष्पादित किया जाना था। प्रतिवादियों को वादी के अपने कब्जे की तारीख के सभी दस्तावेज प्रस्तुत करे और भुगतान किए जाने की रसीद भी प्रस्तुत करे एवं रबर स्टाम्प के रूप में पंजीकरण के लिए पंजीकरण पुस्तिका रबर बोर्ड व रबर प्लांट लगाने की अनुज्ञप्ति के साथ सक्षम व्यक्तियों द्वारा सम्पत्ति को माना जाता है। वादी के अनुसार प्रतिवादी वादी के पक्ष

में विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ कभी तैयार नहीं थे और दस्तावेजों के निष्पादन के लिए वादी द्वारा बारबार की गई माँग को प्रतिवादियों द्वारा उचित प्रतिक्रिया नहीं मिली इसलिए अन्ततः उन्हें 16.03.1988 को अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजकर निष्पादित की माँग की गई और प्रतिवादी सूचना का जवाब देने में विफल रहे। विक्रय के लिए अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए 05.07.1988 को मुकदमा दायर किया जा रहा था। वादी ने निवेदन किया कि वे अनुबंध अनुबंध के अपने दायित्व को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार व इच्छुक थे। प्रतिवादियों ने तर्क देते हुए एक लिखित कथन दायर किया कि वादी डिफाल्ट में थे। वादी ने कभी भी समझौते के निष्पादन की माँग नहीं की इसलिए प्रतिवादी की धारणा थी कि वादी ने अनुबंध को त्याग दिया है इसलिए प्रतिवादियों ने सम्पत्ति और मूल्य में सुधार किया है। सम्पत्ति और सर्वाच्च न्यायालय की रिपोर्ट में प्रभावी सुधार सम्पत्ति में किया और सम्पत्ति में वृद्घि हुई है।

इसलिए यह उपयुक्त मामला नहीं था, जिसकी विनिर्दिष्ट अनुपालना के लिए एक डिक्री दी जानी चाहिए। यह दलील दी कि वादी अनुबंध के अपने हिस्से की पालना करने के लिए कभी तैयार नहीं थे और न ही इच्छुक है। विचारण न्यायालय ने उन परिस्थितियों के आधार पर फैसला सुनाया, जो उस समय विद्यमान नहीं थे। सम्पूर्ण अनुबंध का सार नहीं था। वादी के पास सम्पत्ति को क्रय करने के लिए धन संग्रहण करने की क्षमता थी लेकिन विचारण

न्यायालय ने माना कि वादी ने बिक्री के लिए प्रदर्श ए-1 समझौते के तहत दायित्वों को लागू करने के लिए त्वरित कदम नहीं उठाये थे लेकिन यह पाया गया कि प्रतिवादियों के पास भी रिपोर्ट से पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किये और स्पष्ट रूप से सर्वेक्षण संख्या में शामिल सम्पत्तियों के बारे में काफी विवाद था। विचारण न्यायालय ने कहा कि वादी पक्ष के न्यायालय में आने में देरी को देखते हुए वादी पक्ष ने खुद को अनुबंध के अपने हिस्से की पालना करने के लिए तैयार और इच्छा नहीं दिखाई है और विवेक के प्रयोग के मामले में वादी को विशिष्ट पालना से इंकार किया जाना चाहिए। प्रतिवादियों की बात से वादी सम्पत्ति को खरीदने में रूचि नहीं रखी। प्रतिवादियों ने सम्पत्ति के सुधार के लिए राशि खर्च की। इस प्रकार यह कहते हुए कि वादी के खिलाफ विवेक का प्रयोग करना चाहिए। वादी के खिलाफ विशिष्ट प्रदर्श के लिए वाद खारिज कर दिया लेकिन विचारण न्यायालय प्रदर्श में प्रवेश के समय वादी द्वारा प्रतिवादियों के वाद की तारीख से वसूली की तारीख तक 6 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित ए-1 समझौता को वादीगणों को विशिष्ट निष्पादन की डिक्री देने से इंकार किये जाने से व्यथित होकर वादी ने विशिष्ट अनुपालना के लिए उच्च न्यायालय में अपली दायर की। अपील में उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के फैसले और डिक्री को अपास्त कर दिया और माना कि वाद को विशिष्ट पालना के लिए वादी के पक्ष में डिक्री किया जाना था, जैसा की निवेदन किया गया था।

5. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि समय किसी समझौते का सार नहीं हो सकता है लेकिर परिस्थितियां दिखा सकती हैं कि वास्तव में एेसा था। यद्यपि समय का विस्तार दिया गया था, जो बहुत लंबी अवधि के लिए नहीं थी। हालांकि मूल रूप से अनुबंध में यह निर्धारित किया गया है कि बिक्री मानसून के मध्य होने से पहले पूरा की जानी थी लेकिन आखिरी बार दिया गया विस्तार दिया गया, जो कम समय के लिए था। 17.04.1986 के बाद कोई विस्तार नहीं हुआ। वादी के द्वारा लंबे समय तक कोई मांग नहीं की गयी थी। वादी वास्तव में विक्रय विलेख को निष्पादित करने में रूचि नहीं रखते थे क्योंकि वे यह देखने की प्रतिरक्षा कर रहे थे कि पड़ौसी की भूमि की इच्छित खरीद पूरी होगी या नहीं। यह देखने के लिए कोई साक्ष्य नहीं थी कि समय के सभी प्रांसगिक बिन्दुओं पर वादी समझौते के अपने दायित्व के पालना करने के लिए पूरी तरह तैयार और इच्छुक थे। पी.डब्ल्यू-1 की साक्ष्य का संदर्भ यह दिखाने के लिए दिया गया कि भूमि की खरीद पड़ौसी भूमि के अधिग्रहण पर निर्भर थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि हर स्थान पर तत्परता और इच्छा दिखाने के लिए सामग्री होनी चाहिए भले ही एक व्यक्ति के पास धन हो सकता है, वह धन जुटाने में समक्ष हो सकता है। उच्च न्यायालय के द्वारा इन पहलुओं को नहीं देखा गया। दूसरी और उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि हालांकि किसी दिए गए मामले में यहां तक कि अचल सम्पत्ति के बिक्री के समझौते के संबंध में भी समझौते का सार हो सकता है फिर भी यह कई कारकों पर निर्भर करेगा। यदि

परिस्थितियां दर्शाती हैं कि समय समझौते का सार था तो उस तथ्य पर भी ध्यान दिया जा सकता है। इस मामले में यह प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादियों ने स्वयं स्वीकार किया कि समय बढ़ाया गया था और समझौते को मानसून शुरू होने से पहले प्रभावी किया जाना था लेकिन यह अवधि उस अवधि तक बढ़ा दी गई, जो मानसून आने के बाद स्वीकार किया गया था। प्रतिवादियों द्वारा एक झूंठी याचिका लायी गई कि वादियों ने उन्हें अनुबंध को छोड़ने के लिए कहा है। इस आचरण ने स्वयं प्रतिवादियों को अनुबंध के विशिष्ट पालना के लिए मुकदमें का विरोध करने से वंचित कर दिया।

उच्च न्यायालय ने पाया कि अनुबंध में शुरूआत से विचारण न्यायालय की डिक्री तक अनुबंध में अपने हिस्से को निष्पादित करने के लिए हमेशा तैयार और इच्छुक रहे हैं। निचली अदालत की डिक्री जिन सिद्घांतों पर प्रकाश डाला गया है, उन पर निर्भर करती है। अर्देशिर एच.मामा बनाम फ्लोरा सैसून(ए.आई.आर. 1928 पी.सी. 208)

9. रैनर बनाम माइल्स और अन्य (1980(2) पृष्ठ 155 पर एआईआर 145) मामले को पूरा करने की तारीख को सार के रूप में व्यक्त नहीं किया गया था और यह सुझाव नहीं दिया गया है। ई(हालांकि मुझे लगता है कि यह संभवतः हो सकता है) कि आसपास की परिस्थितियां भी इस तरह से प्रस्तुत की गई है। उस स्थिति में अपीलार्थी प्रस्तुत करता है कि कानून जैसा कि 1875 से अब तक खड़ा है, उन्हें सभी से अलग कर दिया है। उन्हें उत्तरदाताओं द्वारा

अपनी बात रखने में विफलता के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में होने वाली संभावित क्षाति के लिए सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया गया है। यदि यह वास्तव में सही होता तो उत्तरदाताओं को एक बड़ा अन्याय सहन करना पड़ेगा। यह तथ्य कि समय का े सार के रूप में घोषित नहीं किया गया था, इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा होने के स्पष्ट तथ्य को अदालत द्वारा केवल लक्ष्य तिथि के रूप में मानकर प्रतिस्थापित किया जा सकता है। वास्तव में त्रुटि कारित करने वाले पक्ष को इसमें शामिल होने में सक्षम बनाया जा सकता है। संविदात्मक प्रावधान में कुछ ऐसे शब्द जैसे "." या एक के भीतर इसके बाद उचित समय "।" के अंदर।

जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा ठीक ही उल्लेख किया गया है कि वादी ने विर्निदिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 16 सी के संदर्भ में निवेदन किया है कि 1963 (संक्षेप में अधिनियम) कि वे हमेशा अनुबंध के अपने का पालना करने के लिए हमेशा तैयार और इच्छुक रहे हैं। वादी संख्या-2 ने पी.डब्ल्यू-1 के रूप में ऐसा इस तथ्य के बारे में बताया है। वादी का मामला यह था कि प्रतिवादी दस्तावेज के साथ तैयार नहीं थे। जैसा कि प्रदर्श के खंड 2 में बताया गया है। ए-1 जिसके परिणामस्वरूप अनुबंध के निष्पादन में देरी हुई और वादी प्रतिवादियों द्वारा अनुबंध के निष्पादन की मांग कर रहे थे। उच्च न्यायालय ने देखा कि निकटवर्ती भूमि के संबंधमें अनुबंध बहुत पहले किया गया था। उच्च न्यायालय ने देखा कि अनुबंध विचारोंधीन अनुबंध से बहुत पहले किया गया था। उच्च न्यायालय ने यह भी

देखा कि वादी को एस. आई. एल. वी. ई. एंड ओ. आर. एस. प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं थी।

निकटवर्ती भूमि के संबंध में विक्रय विलेख या उन्हें किसी भी समय यह आशंका थी कि उन्हें कोई कार्य मिलने वाला नहीं था। वास्तव में कार्य इस संबंध में प्राप्त किया गया था। उच्च न्यायालय ने इस बात पर भी प्रकाश डाला, हमारी राय में यह सही है कि प्रतिवादियों ने प्रदर्श ए-1 के तहत अनुबंध का अपना हिस्सा नहीं निभाया था क्योंकि उन्होंने प्रतिवादी संख्या-3 के मामले को छोड़कर, रबर प्लांट लगाने के लिए अपेक्षित लाईसेंस प्राप्त नहीं किया था। अन्य प्रतिवादियों में से कोई भी नहीं जैसा कि बिक्री के लिए समझौते के खंड 7 में परिकल्पित है, रबर बोर्ड के साथ रबर एस्टेट के रूप में पंजीकरण के लिए पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त कर ली थी।

डी.डब्ल्यू-1 ने स्वीकार किया कि केरल भूमि सुधार अधिनियम और केरल निजी वन (वेस्टिंग और असाइनमेंट) अधिनियम के संबंध में शामिल समझौते की प्रकृति को देखते हुए प्रतिवादियों द्वारा कब्जा प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रतिवादियों ने कभी भी पत्र का जवाब नहीं दिया। प्रदर्श ए-2 अनुबंध के निष्पादन की मांग करने वाले वादी द्वारा जारी किया गया ए-2 पत्र का कोई जवाब भी नहीं भेजा गया। ए-2 से ए-10 तक प्रदर्श ए-6 पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजा गया एक पत्र था, जिसे अस्वीकार किया गया था। अधिवक्ता के नोटिस प्रदर्श ए-11 का भी जवाब नहीं दिया गया था। जहां तक प्रतिवादियों के असत्य दलील का संबंध है, प्रभाव पर ध्यान देने की

आवश्यकता है, यह दलील दी गई थी कि प्रतिवादी संख्या-3 ने वादी से कोई पत्र प्राप्त करने और वादी द्वारा उसे यह बताना कि वे अनुबंध के दायित्व को लागू कराने के इच्छुक नहीं है लेंकिन जब डी.डब्ल्यू-1 के रूप में प्रतिरक्षा की गई तो कथन प्रतिवादी संख्या-3 ने स्वीकार किया कि वह कभी भी वादी से नहीं मिला था, जैसा कि उसने कहा था। जैसा कि लिखित कथन में बताया गया था और वह या कोई अन्य प्रतिवादी कभी भी वादी संख्या-2 से मिलने के लिए निष्पादन के पालना की बात करने के लिए उसके आवास पर बात करने के लिए एलेप्पी नहीं गया था। याचिका में कहा गया कि लिखित कथन में साक्ष्य में बताया गया था और वह या कोई अन्य प्रतिवादी कभी भी वादी नंबर-2 से मिलने के लिए उसके आवास पर बात करने के लिए एलेप्पी नहीं गया था। अनुबंध के निष्पादन के बारे में, लिखित कथन में बताई गई दलील को लूई मैन डेविड और अन्य में साक्ष्य में रूप में छोड़ दिया गया था। लई चिन्नया अरोगियास्वामी और अन्य (1996(5) एसीसीसी 589) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रतिवादी के आचरण में किसी डिक्री को जारी करने या अस्वीकार करने के लिए विवेक के प्रयोग के सवाल पर विचार करते समय प्रतिवादी के आचरण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट-(2008) 3 एस.सी.आर. एक विशिष्ट प्रदर्शन, तथ्यात्मक स्थिति का विश्लेषण करने के बाद उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रतिवादी वास्तव में अनुबंध के संदर्भ में अपने दायित्व को पूरा करने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने लिखित बयान में झूठी दलील दी थी। अपील निराधार होने से

खारिज योग्य है, जिसे हम निर्देशित करते हैं, लेकिन इस परिस्थिति में लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

उच्च न्यायालय वास्तविक स्थिति का विश्लेषण करने के बाद इस निष्कर्ष पर आते हैं कि प्रतिवादी करार के परिप्रेक्ष्य में अपने दायित्व का पालन के लिए लिखित कथन में असत्य याचिक दाखिल की। अपील गुणावगुण के बिना खारिज योग्य है। प्रत्यक्ष परिस्थितियों में लेकिन बिना किसी आदेश के याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राजीव दत्तात्रेय, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।